निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्याः 02 / दावा / 21 तारीख दायरा 09.02.2021
ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2021 / 10

उनवान

राधेश्याम पिता बीरमा जाति चमार नि0 आंकखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) हाल मुकाम बिलिया पोस्ट सुवानिया, सुधार मोहल्ला बिलिया नगरी चित्तौडगढ तहसील चित्तौडगढ

———वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

——— प्रतिवादी

वाद / प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0ले0रे0एक्ट

निर्णय

उपस्थितिः– वकील वादीगण श्री राजेश कुमार वर्मा

दिनांक 24.06.2022

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ए0 के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 144 पूरानी 129 कि खसरा नम्बर 699 / 9 की 1.2141 हैक्ट0, 700 / 12 की 0.0809 हैक्ट0 भुमि कुल 02 किता की 1.2950 हैक्ट0 भूमि आराजी वादी के शामिल खातेदारी में दर्ज है। वर्णित आराजी में वादी का नाम बाबूलाल पिता बीरमा दर्ज हो रहा है जो गलत है। वादी का सही नाम राधेश्याम पिता बीरमचंद है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजो जैसे आधार कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, जोब कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में राधेश्याम पिता बीरमचंद दर्ज हो रहा है। वादी के नाम राधेश्याम पिता बीरमचंद हेतु वादीगण ने प्रतिवादी तहसीलदार मनोहरथाना से कई बार निवेदन किया तथा आवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई संतोशप्रद जवाब नही देने पर पुनः अंतिम बार दिनांक 21.01.2021 को आवेदन करने पर कोई सुनवाई नही करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वर्णित आराजी ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 144 पूरानी 129 कि खसरा नम्बर 699 / 9 की 1.2141 हैक्ट0, 700 / 12 की 0.0809 हैक्ट0 भूमि कुल 02 किता की 1.2950 हैक्ट0 भूमि आराजी मे से वादी का नाम बाबूलाल पिता बीरमा दुरस्त कर राधेश्याम पिता बीरमचंद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड अमल दरामद की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न पत्रावली किया गया मुताबिक जवाब प्रतिवादी तहसीलदार, वादी

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से सहमत है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम बाबूलाल पिता बीरमा दुरस्त कर राधेश्याम पिता बीरमचंद से सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत तर्क एंव दस्तावेज पर गौर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी प्रार्थना पत्र के तथ्यो से सहमत है। जिसके आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिया जाता है कि वर्णित आराजी ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 144 पुरानी 129 कि खसरा नम्बर 699/9 की 1.2141 हैक्ट0, 700/12 की 0.0809 हैक्ट0 भूमि कुल 02 किता की 1.2950 हैक्ट0 भूमि आराजी में वादी का नाम बाबूलाल पिता बीरमा दुरस्त कर राधेश्याम पिता बीरमचंद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को खुले इजलास सुनाया गया ।

(श्री अभिषेक [illegible] आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

फाईनल डिक्री मुकदमात इब्तदाई
(ओ020 रूल0 6–7 जाप्ता दीवानी)
बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्याः 02/दावा/21 तारीख दायरा 09.02.2021
ऑन लाइन प्रकरण संख्या 2021/10

उनवान

राधेश्याम पिता बीरमा जाति चमार नि0 आंकखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0) हाल मुकाम बिलिया पोस्ट सुवानिया, सुधार मोहल्ला बिलिया नगरी चित्तौडगढ तहसील चित्तौडगढ

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राज0

--- प्रतिवादी

धारा 136 एल0आर0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ अभिषेक चारण (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादनी श्री राजेश कुमार वर्मा मिन जानिब मुद्दालय ------------ ने पेश होकर वाद डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

ग्राम चांदपुरा पटवार हल्का चांदपुरा कस्बा तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान के माल की खाता संख्या नया 144 पुरानी 129 कि खसरा नम्बर 699/9 की 1.2141 हैक्ट0, 700/12 की 0.0809 हैक्ट0 भूमि कुल 02 किता की 1.2950 हैक्ट0 भूमि आराजी में वादी का नाम बाबूलाल पिता बीरमा दुरस्त कर राधेश्याम पिता बीरमचंद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से मजमे आम मे जारी की गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड